न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2162–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 08–06–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल, प्रकरण कमांक 74/अपील/2013–14.

—

प्रणवीर सिंह आत्मज श्री श्यामसिंह चौहान
निवासी ग्राम तामोट तहसील गौहरगंज,
जिला रायसेन म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

लक्ष्मीनारायण आत्मज श्री रामबख्श,
निवासी ग्राम खिल्लीखेड़ा, तहसील गौहरगंज,
जिला रायसेन म0प्र0

.....अनावेदक

श्री ओ0पी0दुबे, अभिभाषक, आवेदक
श्री गुलाबसिंह, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/8/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश 8–6–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अतिरिक्त तहसीलदार औबेदुल्लागंज द्वारा ग्राम खिल्लीखेड़ा स्थित भूमि सर्वे कमांक 191/2 रकबा 1.76 एवं सर्वे कमांक 192/1/3/2 रकबा 1.53 एकड़ भूमि पर अनावेदक लक्ष्मीनारायण के स्थान पर आवेदक प्रणवीर सिंह का नामान्तरण दिनांक 29–11–2001 को स्वीकृत किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा प्रथम अपील दिनांक 6–2–2012 को लगभग 11 वर्ष विलम्ब से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील प्रकरण कमांक 13/2011–12/अपील में दिनांक 22–10–12 को आदेश पारित कर

यह निष्कर्ष निकालते हुये कि प्रकरण में वरिष्ठ न्यायालय अपर कलेक्टर द्वारा विचार किया जाना है तब अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सुनवाई का औचित्य नहीं है, अतः अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों पर विचार किये बिना धारा 5 के आवेदन पत्र को प्रथमदृष्टया सुनवाई योग्य नहीं होने से समाप्त किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 8–6–15 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के आदेश निरस्त करते हुये अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से आधार लिया गया कि अपर आयुक्त द्वारा संहिता की धारा 168 व 169 के प्रावधानों पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनेक न्यायदृष्टांतों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पट्टेदारों को मौरूषी कृषक के अधिकार विधि के प्रावधानों से स्वमेव उद्भूत होते है और किसी न्यायालय से घोषणा की अपेक्षा नहीं है, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा विधि के प्रावधानों के विपरीत तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त करने में विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई है, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । तर्को में यह भी आधार लिया गया है कि संहिता की धारा 190 के अन्तर्गत व्यवहार न्यायालय की अधिकारिता वर्जित है । इस स्थिति पर भी अपर आयुक्त द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । अपर आयुक्त द्वारा उभयपक्ष की साक्ष्य एवं स्वीकृति को अनदेखा कर आदेश पारित किया गया है जो कि न्यायिक आदेश नहीं होकर प्रशासनिक आदेश होने से हस्तक्षेप योग्य है । यह भी आधार लिया गया है कि अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष विचारण प्रकरण कमांक 38/अ–6/1999–2000 में पारित आदेश दिनांक 2–12–2000 की सम्पूर्ण जानकारी होने तथा विचारण न्यायालय में उपस्थित होकर साक्ष्य प्रस्तुत करने की सम्पूर्ण जानकारी होने के पश्चात् 12 वर्ष बाद प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई है तथा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन का निराकरण कर प्रकरण समाप्त किया गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता नहीं की गई है । यह भी आधार लिया गया है कि प्रकरण कमांक 38/अ–6/1999–2000 में पारित आदेश

दिनांक 20–10–2000 को अवैध व अधिकारिता रहित मानते हुये नामान्तरण पंजी कमांक 1 पर प्रविष्टी दिनांक 29–11–01 को निरस्त किया गया है, जबकि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 20–10–2000 को कोई आदेश ही पारित नहीं किया गया है, इस आधार पर कहा गया कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 2–12–2000 को पारित आदेश के पालन में दिनांक 29–11–2001 को जो आदेश पारित किया गया है उसे निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा विधि की गंभीर भूल की गई है ।

4/ प्रकरण में अंतिम बहस दिनांक 29–6–2016 को अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता को एक सप्ताह में लिखित तर्क प्रस्तुत करना थे, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के सन्दर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा एक सादे हरे कागज पर भूमि कोली पर दिये जाने की लिखापढ़ी के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर तहसीलदार द्वारा कार्यवाही कर भूमि अंतरण किये जाने की कार्यवाही की गई है, जबकि इस प्रकार की लिखापढ़ी के आधार पर भूमि अंतरण किये जाने का अधिकार राजस्व न्यायालयों को नहीं है तथा तहसीलदार द्वारा विधि के प्रावधानों के विपरीत एवं अधिकारिता विहीन आदेश पारित किया गया है और अधिकारिता विहीन आदेश को किसी भी समय अपास्त किया जा सकता है । संहिता की धारा 168, 169, 185 तथा 190 के अन्तर्गत राजस्व न्यायालयों को अधिकार नहीं होकर सिविल न्यायालय को अधिकार है । इस ओर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी ध्यान नहीं देकर अपील निरस्त करने में त्रुटि की गई है । अपर आयुक्त द्वारा विस्तृत विवेचना कर कार्यवाही करते हुये तहसीलदार द्वारा पारित अधिकारिता विहीन आदेश को निरस्त करने में उचित कार्यवाही की गई है । अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश 8–6–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर